



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052022-235783
CG-DL-E-14052022-235783

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2120]
No. 2120]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 14, 2022/वैशाख 24, 1944
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 14, 2022/VAISAKHA 24, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 मई, 2022
सं. 05/2015-2020

विषय : प्याज के बीजों की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 2235(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा-संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा प्याज के बीजों के निर्यात से संबंधित अधिसूचना सं. 43/2015-20 दिनांक 29.10.2020 में निम्नानुसार संशोधन करती है:

क्र. सं.	आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	वर्तमान नीति	संशोधित नीति
73	12099130	प्याज के बीज	निषिद्ध	प्रतिबंधित

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

प्याज के बीजों की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से 'प्रतिबंधित' श्रेणी में रख दिया गया है।

[फा. सं. 01/91/180/923/एएम-21/ईसी/ई-23941]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2022

No. 05 /2015-2020

Subject: - Amendment in Export Policy of Onions Seeds.

S.O. 2235(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendments in the **Notification No. 43/2015-20 dated 29.10.2020** related to export of Onion Seeds:

S.No.	ITC (HS) Code	Description	Present Policy	Revised Policy
73	12099130	Onion Seeds	Prohibited	Restricted

2. Effect of this Notification:

The Export Policy of Onion Seeds has been put under 'Restricted' category, with immediate effect.

[F. No. 01/91/180/923/AM21/EC/E-23941]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.